

स्पीड पोस्ट

संख्या- 6/एफ1-307/2014 श्र0सं0- 96

बिहार सरकार,

श्रम संसाधन विभाग

आवंटनादेश
प्रेषक,

सैयद परवेज आलम
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
वैशाली (हाजीपुर) /कैमूर ।

पटना, दिनांक :- 27-2-15

विषय:- आय-व्ययक शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-राज्य योजना-103-सामान्य श्रम कल्याण-
मांग संख्या-26 उपशीर्ष-0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-पी0
2230011030103) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या- 1666 दिनांक 18.06.14 के
आलोक में सलंग्न सूची के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष- 2014-15 में 31 मार्च, 2015 तक व्यय हेतु
आपकी अध्यक्षता में गठित " बाल श्रमिक पुनर्वास-सह-कल्याण कोष" में जमा करने हेतु ₹0 5000/-
(रूपये पाँच हजार) मात्र प्रति बाल श्रमिक की दर से निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है:-

क्र०सं०	प्राथमिक इकाईयाँ	जिला का नाम	बाल श्रमिकों की संख्या	आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1	28-01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	वैशाली (हाजीपुर)	65	325000
2	तदैव	कैमूर	06	30000
कुल योग			71	355000

कुल आवंटित अतिरिक्त राशि रूपये तीन लाख पचपन हजार मात्र ।

- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-253/वि०(2) दिनांक-11.3.14, पत्रांक-687/वि०दिनांक-24.07.14, एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि० (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।
- इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
- इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथा शीघ्र इस विभाग को उपलब्ध करा दी जाय ।
- यह आवंटन योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,

(सैयद परवेज आलम) 26/2/15

श्रमायुक्त, बिहार
26/2/15

ज्ञापांक-6/एफ1-307/2014 श्र0सं0-

96

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

बजट प्रभारी

पटना, दिनांक 27-2-15

बजट प्रभारी

(सैयद परवेज आलम) 26/2/15

श्रमायुक्त, बिहार ।

26/2/15

ज्ञापांक-6/एफ1-307/2014 श्र0सं0-

96

पटना, दिनांक

27-2-15

प्रतिलिपि:-सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना /संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त /संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी /प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/आई.टी. मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सहायक श्रमायुक्त, प्रभारी पदाधिकारी, मुख्यालय एवं प्रशाखा-01 को उनके गै.सं.प्रे.सं.0-32 (श्रम पक्ष) दि.-25.2.15 के आलोक में) /प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को एक अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2. उपयोगिता प्रमाण पत्र का संधारण संबंधित शाखा द्वारा किया जायेगा ।

मजिदुल्लाह
बजट प्रभारी

(सैयद परवेज आलम)
श्रमायुक्त, बिहार ।
26/2/15